



कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- उदयपुर में कार्यालय उपखण्ड अधिकारी का संविदाकर्म 5 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार
- आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी

जयपुर, 17 नवम्बर। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर उदयपुर इकाई द्वारा आज बुधवार को कार्यवाही करते हुये प्रभूलाल संविदाकर्म एन.एच.ए.आई. उदयपुर हाल परस्थापित कार्यालय उपखण्ड अधिकारी-झाड़ोल, जिला उदयपुर को परिवादी से 5 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की उदयपुर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि अवाप्त भूमि के मुआवजा राशि के भुगतान करने की एवज में प्रभूलाल संविदाकर्म एन.एच.ए.आई. उदयपुर हाल परस्थापित कार्यालय उपखण्ड अधिकारी-झाड़ोल, जिला उदयपुर द्वारा 10 हजार रुपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी उदयपुर इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री उमेश ओझा के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज पुलिस निरीक्षक श्री हरीशचन्द्र सिंह एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये प्रभूलाल पुत्र श्री परसराम निवासी गोदाणा, पुलिस थाना झाड़ोल, जिला उदयपुर हाल संविदाकर्म एन.एच.ए.आई. उदयपुर हाल परस्थापित कार्यालय उपखण्ड अधिकारी-झाड़ोल, जिला उदयपुर को परिवादी से 5 हजार रुपये रिश्वत राशि के रूप में लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाइन नं. 1064 एवं **Whatsapp हैल्पलाइन नं. 94135-02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।